

(ख) से (घ) सस्सरी तौर पर अर्घोषित आय का अनुमान लगाने और पकड़ी गई परिसम्पत्तियों को रोकने के लिए, बही खातों की प्रारम्भिक छानबीन सहित अपेक्षित जांच के बाद दोनों समूहों के संबंध में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 132 (5) के अधीन आदेश जारी किए गए हैं। रोकें गई परिसम्पत्तियों का ब्यौरा नीचे लिखे अनुसार है :—

धारा 132(5) के अधीन अनुमानित अर्घोषित आय	धारा 132(5) के अधीन रोकें गई परिसम्पत्तियों का मूल्य
रु०	रु०

लोहा और इस्पात

व्यापारीस मूद्र 2,75,63,314 36,08,423

माड़ी व्यापारी

समूह 63,42,199 11,51,200

अभी तक कर-अपवचन के लिए उपयुक्त व्यक्तियों में से किसी के विरुद्ध इस्तगासे की कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है। नियमित कर निर्धारणों को पूरा करने के लिए आगे जांच-पड़ताल चल रही है। इस्तगासे की कार्यवाही तभी की जा सकती है जब जांच-पड़ताल पूरी हो जाए और यह स्थापित हो जाए कि आयकर अधिनियम अथवा भारतीय दण्ड-संहिता के अंतर्गत अपराध किया गया है।

†[THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE) : (a) The value of assets seized by the Income-tax authorities in the course of searches conducted in two important groups dealing in iron and sarees is as under :—

(i) Iron & Steel Dealer Group :

(searches conducted in June, 1974)

Cash including Fixed

	Rs.
Deposit Receipts	20,41,819
Jewellery (value)	16,05,951
	(Approx.)

†[] English translation.

(ii) Sarees Dealer Group :

(searches conducted in August, 1973).

	Rs.
Indian currency.	11,76,709
Foreign currency and Travellers Cheques (value in Indian rupees)	2,840
Silver	15,000
	(Approx.)
Other assets	55,000

(b) to (d) Orders under section 132(5) of the Income-tax Act, 1961 have been passed in respect of both the groups after making the requisite enquiries including preliminary scrutiny of the account books estimating the undisclosed income in a summary manner and retaining the assets seized as per details below :—

	Undisclosed income estimated under section 132(5)	Value of assets retained u/s 132(5)
	Rs.	Rs.
Iron & Steel dealer group	2,75,63,314	36,08,523
Sarees dealer group	63,42,199	11,51,200

So far, no prosecution has been launched in respect of any of the above persons for tax evasion. Further investigations are in progress for completion of regular assessments. It is only after the investigations are completed, establishing that an offence has been committed under Income-tax Act or under Indian Penal Code that a prosecution can be launched.]

भूतपूर्व रियासतों के राजाओं के संपत्ति-कर का निर्धारण

1534. श्री किशन लाल शर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भूतपूर्व रियासतों के राजाओं के विशेषाधिकारों की समाप्ति के पश्चात् उनसे संपत्ति कर की वसूली के लिए उनकी संपत्ति का क्या मूल्य-निर्धारण किया गया है ?

‡[Property tax assessed on ex-rulers

1534. SHRI KISHAN LAL SHARMA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state the value of the property assessed for realization of property tax from the ex-rulers after abolition of their privileges ?]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : स्पष्टतः माननीय सदस्य, उस संपत्ति के मूल्य पर धन-कर निर्धारण का उल्लेख कर रहे हैं जो भूतपूर्व शासकों के कब्जे में थी। जिन भूतपूर्व शासकों के विशेषाधिकार समाप्त किये गये थे, उन्हें उनके विशेषाधिकारों के समाप्त होने से पूर्व भी, धन कर की अदायगी से छूट प्राप्त नहीं थी। जिन भूतपूर्व शासकों के विशेषाधिकार समाप्त किये गये थे उनकी संख्या 277 है। उनमें से प्रत्येक के पास जो धन था उसका ब्याँरा नहीं रखा गया है। यदि, माननीय सदस्य ऐसे किसी विशेष भूतपूर्व शासक के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करना चाहते हों, जिसका धन-कर निर्धारण किया गया हो, तो वह सूचना एकत्र करके पेश की जाएगी।

‡[THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE) : Apparently the Hon'ble Member is referring to the assessment to Wealth-tax of the value of the property possessed by ex-rulers. The ex-rulers whose privileges were abolished were not exempt from payment of wealth-tax even prior to the abolition of their privileges. There were as many as 277 ex-rulers whose privileges were abolished. The particulars of wealth possessed by each one of them are not maintained. If the Hon'ble Member wishes to have information about any particular ex-ruler who may have been assessed to wealth-tax the same will be collected and furnished.]

राजस्थान के भूतपूर्व रियासती राजाओं के नाम पर आय-कर की बकाया राशि

1535. श्री कृशन लाल शर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशेषाधिकारों की समाप्ति के पश्चात् राजस्थान के कौन-कौन से भूतपूर्व रियासती राजा

आय-कर अधिनियम की परिधि में आ गए हैं ; और

(ख) इन भूतपूर्व रियासती राजाओं पर प्रति वर्ष कितना आयकर निर्धारित किया गया है और उनमें से प्रत्येक के नाम पर आय-कर की बकाया राशि कितनी-कितनी है ?

‡[Arrears of income-tax against ex-rulers in Rajasthan

1535. SHRI KISHAN LAL SHARMA : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) the names of the ex-rulers of States in Rajasthan who have come under the purview of the Income Tax Act after the abolition of the privileges; and

(b) the annual amount of income-tax assessed on these ex-rulers and the arrears outstanding against each of them?]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) विशेषाधिकारों की समाप्ति के पहले भी राजस्थान में राज्यों के भूतपूर्व शासक आय-कर अधिनियम की सीमा के अंतर्गत आते थे। आयकर लगाने में कुछ आमदनियों पर उनको केवल छूट का हक प्राप्त था।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

‡[THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE) : (a) Ex-Rulers of States in Rajasthan were under the purview of the Income-tax Act even before the abolition of the privileges. They were only entitled to exemption of certain incomes from levy of Income-tax.

(b) Does not arise.]

Reorientation of purchase policy by Cotton Corporation of India

1536. SHRI DEORAO PATIL :

SHRI KRISHNARAO NARAYANRAO DHULAP :

PROF. N. M. KAMBLE :

Will the Minister of COMMERCE be pleased to state :